न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **48/2021**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
करनाराम पुत्र सुखाराम निवासी–मेघवालों का बास, मलार तहसील–फलौदी, जोधपुर		1. रामूराम पुत्र पदमाराम मेघवाल 2. नारायणराम पुत्र रामूराम मेघवाल निवासीगण मलार तहसील–फलौदी, जोधपुर 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2021 उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2020 अनवान रामूराम वगैराह बनाम सरकार में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोतीसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2–श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

निर्णय

दिनांक 29 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1, 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम रिण पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत ख0सं0 86/1 रकबा 33.05 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज होने व काबिज काश्त है। जिसकी पैमाइश तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 28.2.2020 की पालना में दिनांक 7.7.2020 में करवाई जा चुकी है जिसकी उक्त पैमाइश अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त खसरान की भूमि की उक्त पैमाइश अनुसार पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किया।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है क्योंकि सम्पूर्ण रकबा भूमि ख0सं0 86 का ही भाग है। जमाबन्दी में रेस्पो0 के नाम से ख0सं0 86/1 रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है एवं अपीलान्ट के नाम ख0सं0 86/3 रकबा 66 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों का मूल खसरा एक ही है इसके बावजूद भी पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट जो कि प्रभावित व्यक्ति है, को किसी प्रकार से

नोटिस का व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका फर्द मनमाने रूप से बनाई गई है जिसमें अपीलान्ट की भूमि की स्थिति को जानबूझ कर नजरअंदाज किया गया है जिसमें लिखा गया कि ख0सं0 86/1 की रकबा 10 बीघा भूमि पडौसी खसरा में दबी हुई है जबकि पटवारी के द्वारा पडौस के खसरों की कोई पैमाइश नहीं की है। इस प्रकार पडौसी खसरों की पैमाइश किये बिना ही पत्थरगढी का आदेश दिया जाना अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात है। रेस्पो0 की वादग्रस्त खसरा भूमि अपीलान्ट की खसरा भूमि से चिपर्ती हुई है और रेस्पो0 की भूमि की तरमीम भी त्रुटिपूर्ण है। अपीलान्ट को प्रकरण में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। चूंकि बिना सुचना व सुनवाई के आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी वादग्रस्त भूमि पर पटवारी हल्का व रेस्पो0 मौके पर उपस्थित हुए तथा अपीलान्ट की भूमि पर पत्थर रोपने लगे तब अपीलान्ट को हुई थी। जिसके पश्चात अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रिण पटवार क्षेत्र मलार तहसील फलौदी के खेत ख0सं0 86/1 रकबा 33.05 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज होने व काबिज काश्त है। जिसकी पैमाइश तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 28.2.2020 की पालना में दिनांक 7.7.2020 में करवाई जा चुकी है जिसकी उक्त पैमाइश रिपोर्ट अनुसार उनके खसरान भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त खसरान की भूमि की उक्त पैमाइश अनुसार पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खसरान की सम्पूर्ण रकबा भूमि मूल ख0सं0 86 का ही भाग है। जमाबन्दी में रेस्पो0 के नाम से ख0सं0 86/1 रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है एवं अपीलान्ट के नाम ख0सं0 86/3 रकबा 66 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों का मूल खसरा एक ही है। अपीलान्ट की अपील में उठाई गई आपत्ति के क्रम में न्यायालय हाजा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अगर प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के आदेश देते है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे वादग्रस्त खसरान भूमि का सही सीमांकन एवं सीमांकन के पश्चात सही रूप से खेतों की सीमाओं पर पत्थरगढी

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए उपरोक्त प्रकरण में मात्र तहसीलदार को ही रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है, हितबद्ध पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के लिहाज से न्यायसंगत है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, फलौदी को निर्देशित किया जाता है कि वे हितबद्ध पक्षकारान/काश्तकारान को नोटिस जारी किया जाकर उनकी उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन का कार्य किया जावे तत्पश्चात अगर आवश्यक हो तो विधिवत पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर